

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा

जिला राजस्व शाखा

पत्रांक-1006/रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,

जामताड़ा।

सेवा में,

चीफ मैनेजर

JCP धनबाद।

जामताड़ा, दिनांक 31.10.16

विषय:- 220 KV गोविन्दपुर-दुमका-ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-ER-1/JCP/Dhanbad/ Gobindpur- Dumka Tr. Line, दिनांक-12.08.2016 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक- 1187, दिनांक-12.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1817/रा0, दिनांक-30.04.2015 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में 220 KV गोविन्दपुर-दुमका-ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि के अपयोजन हेतु अंचल- जामताड़ा, नारायणपुर एवं करमाटँड से संबंधित वनभूमि किस्म- जंगल झाड़ी, पलास जंगल एवं जंगल झांटी का निम्न भूखण्डों का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

क्र0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना सं0	खाता सं0	दाग सं0	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	मौजा का कुल रकवा	किस्म भूमि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	880	0.3891	0.6111	जंगल झाड़ी, पलास जंगल	
					1014	0.0824			
					1013	0.067			
					3636	0.0426			
					878	0.0249			
					1754	0.0051			
2	नारायणपुर	रायडीह	34	44	01	0.1578	0.1578	जंगल झांटी	
3	करमाटँड	कमारडीह	32	32	385	0.2145	0.5102	जंगल झांटी	
					321	0.2957			
		मुर्गाबनी	62	34	275	1.6113	1.6278		
					49	0.0165			
कुल -						2.9069	2.9069		

उपर्युक्त गैर मजरुआ (Deemed Forest) भूमि (जंगल झाड़ी, पलास जंगल, जंगल झांटी) है, जो जामताड़ा जिले के अंचल जामताड़ा के मौजा- सुखजोड़ा, थाना सं0-09, अनावादी खाता सं0-79,

दाग सं०-880, 1014, 1013, 3636, 878 एवं 1754 जमीन किस्म- जंगल झाड़ी / पलास जंगल, रकवा-0.6111 हेक्टेयर, अंचल- नारायणपुर के मौजा- रायडीह, थाना सं०-34, अनावादी खाता सं०-44 दाग सं०-01, जमीन किस्म- जंगल झांटी रकवा-0.1578 एवं अंचल- करमाटौंड के मौजा- कमाखीह, थाना सं०-32, अनावादी खाता सं०-32, दाग सं०-385 एवं 321 जमीन किस्म- जंगल झांटी, रकवा-0.5102 हेक्टेयर, मौजा- मुर्गाबनी के थाना सं०-62, अनावादी खाता सं०-34, दाग सं०-275 एवं 49 रकवा-1.6278 हेक्टेयर जमीन किस्म- जंगल झांटी कुल रकवा-2.9069 हेक्टेयर में सन्निहित है। यह भूमि अधिसूचित वनभूमि तथा संरक्षित वनभूमि से बाहर है। इसके अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। FRA के तहत ग्राम सभा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से वनभूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

[Signature]
उपायुक्त
जामताड़ा।

[Signature]
अपर समाहर्ता
जामताड़ा।

झापांक.....1006...../रा०, दिनांक 31.10.16

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
अपर समाहर्ता
जामताड़ा।

[Signature]
उपायुक्त
जामताड़ा।

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा
जिला राजस्व शाखा

पत्रांक-230/रा0,

प्रेषक,

उपायुक्त,
जामताड़ा।

सेवा में,

चीफ मैनेजर
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, धनबाद।

जामताड़ा, दिनांक-26/02/16

विषय:-

220 KV D/C गोविन्दपुर-दुमका-ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ जामताड़ा जिले में पड़ने वाले वनभूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-
महाशय,

आपका पत्रांक-326, दिनांक-08.01.2016

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1817/रा0, दिनांक-30.04.2015 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में 220 KV D/C गोविन्दपुर-दुमका-ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि के अपयोजन हेतु आपके द्वारा किये गये मांग के अनुसार अंचल कार्यालय, जामताड़ा एवं अंचल कार्यालय, करमाटांड से संबंधित किस्म अनावादी झांटी जंगल, अनावादी जंगल, अनावादी जंगल साखु, अनावादी जंगल पलास का मौजा वार निम्नलिखित भूखण्डों का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

क्र०	जिला	अंचल	मौजा	थाना सं०	जमाबंदी सं०	प्लोट सं०	कुल रकबा (हे० में)	किस्म भूमि
1	जामताड़ा	जामताड़ा	गुन्दलीपहाड़ी	10	79	1333/ 2616	0.180	अनावादी जंगल पलास
2	जामताड़ा	करमाटांड	बरमसिया	61	16	02	0.397	अनावादी झांटी जंगल
			लखनपुर	60	29	862	0.222	अनावादी झांटी जंगल
				60	29	544	1.636	अनावादी जंगल
				60	29	515	0.875	अनावादी जंगल साखु
			मुर्गाबनी	62	34	275	1.448	अनावादी जंगल
जोड़							4.758	

उपयुक्त गैर मजरूवा (Deemed Forest) भूमि (अनावादी जंगल पलास, अनावादी झांटी जंगल, अनावादी जंगल एवं अनावादी जंगल साखु) है जो जिला जामताड़ा अंचल जामताड़ा मौजा- गुंदलीपहाड़ी, थाना सं०- 10, जमाबंदी सं०-79, खेसरा सं०-1333/ 2616, किस्म जमीन अनावादी जंगल पलास रकवा-0.180 हेक्टेयर तथा अंचल करमाटोंड के मौजा- बरमसिया, थाना सं०- 61, जमाबंदी सं०-16, खेसरा सं०-02 किस्म जमीन अनावादी झांटी जंगल रकवा-0.397 हेक्टेयर, मौजा- लखनपुर, थाना नं०- 60 के जमाबंदी सं० 29 खेसरा सं० 862 किस्म भूमि अनावादी झांटी जंगल रकवा-0.222 हेक्टेयर, मौजा- लखनपुर, थाना नं०-60, जमाबंदी सं० 29, खेसरा सं० 544 किस्म भूमि अनावादी जंगल, रकवा-1.636 हेक्टेयर, मौजा- लखनपुर, थाना नं०-60, जमाबंदी सं० 29, खेसरा सं० 515 किस्म भूमि अनावादी जंगल साखु, रकवा-0.875 हेक्टेयर, तथा मौजा- मुगाबनी, थाना सं०-62, जमाबंदी सं० 34, खेसरा सं० 275 किस्म भूमि अनावादी जंगल, रकवा- 1.448 हेक्टेयर कुल रकवा-4.758 हेक्टेयर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। FRA के तहत ग्राम सभा, अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से वन भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

उपयुक्त
जामताड़ा।